राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन

28 नवंबर, 2006

भारत के वैज्ञानिकों ने 1950 और 60 के दशकों में विज्ञान और टैक्नॉलॉजी की उन्नति में उल्लेखनीय योगदान किया है। यह सब विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान के लिए दी गई सहायता का नतीजा था। देश भर में अनेक अनुसंधान और विकास संस्थान स्थापित किए गए। किन्तु समय के साथ–साथ सरकारी समर्थन जारी रहने के बावजूद भारत में अनुसंधान की क्वालिटी और मात्रा दोनों में लगातार गिरावट आई है। इस गिरावट के कारणों का पता लगाना और इसे दूर करने के उपाय अपनाना आवश्यक है।

पिछले कुछ दशकों के दौरान यह बात अधिक–से–अधिक समझ में आने लगी है कि ज्ञान अर्जन एक सत्त प्रक्रिया है और विभिन्न विभागों या विषयों के बीच की सीमाएँ लगातार गौण, अप्रासंगिक और अस्पष्ट होती जा रही हैं।

भारतीय अनुसंधान में मौजूदा संकट के निम्नलिखित कुछ प्रमुख कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है:

- **परस्पर संपर्क का अभाव:** प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच की विभाजन रेखाएँ बहुत सख्त हो गई हैं, जिसके कारण प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों में शोधकर्ताओं के बीच संपर्क न के बराबर होता है या बिलकुल नहीं होता।
- **दूरदृष्टि का अभाव:** दीर्घकालिक उपयोगिता और महत्व वाले विषयों पर शोध या अनुसंधान नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी योजना प्रक्रिया ऐसी है, जो सिर्फ तीन से पाँच वर्ष के लिए ही सहायता देती है।
- **पारिश्रमिक में भिन्नता का अभाव:** जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें ईनाम देने और जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए प्रदर्शन और परिणामों पर आधारित भिन्न पारिश्रमिक के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता।
- **वैज्ञानिक विधियों का अभाव:** स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाने के मौजूदा तरीकों से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच नहीं पनपती।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को मालूम है कि विज्ञान सलाहकार परिषद ने हाल ही में एक राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना का सुझाव दिया है ताकि देश में शोध और अनुसंधान की स्थिति से जुड़े ऐसे और अन्य मुद्दों का समाधान किया जा सके। आयोग कुछ परिवर्तनों के साथ इस सुझाव का समर्थन करता है। इन परिवर्तनों से ये समाधान अधिक व्यापक और व्यावहारिक हो जाएँगे।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मानना है कि विभिन्न विषयों के बीच लुप्त होती सीमाओं और ज्ञान की प्रक्रिया की निरंतरता की बढ़ती समझ को देखते हुए भारत को एक राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना करनी चाहिए। यह फाउंडेशन हर तरह के ज्ञान को एक बेजोड़ ईकाई मानेगा। भारत इस तरह का आधुनिक संगठन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। विशद् ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी परंपरा को देखते हुए इस तरह के नए युग का सूत्रपात करना सही भी है और दायित्व भी।

प्रस्तावित राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान फाउंडेशन के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

क. ऐसी नीतियों का सुझाव देना जो भारत को प्राकृतिक, भौतिक, कृषि, स्वास्थ्य और समाज विज्ञानों के सभी क्षेत्रों में नए ज्ञान के सृजन और उपयोग के मामले में विश्व गुरू के पद पर आसीन कर सकें। इनमें पारंपरिक विषयों को जोड़ने वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए;

ख. यह सुनिश्चित करना कि देश के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए विज्ञान और टैक्नॉलॉजी का अधिकतम उपयोग किया जाए;

ग. वैज्ञानिक सोच विकसित करना।

फाउंडेश के प्रबंध बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 8–10 सदस्य हो सकते हैं। फाउंडेश के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के विशेषज्ञ बारी–बारी से आसीन हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर अध्यक्ष कोई वैज्ञानिक हैं तो उपाध्यक्ष पद समाज वैज्ञानिक को मिले। इसका विपरीत होना भी आवश्यक है।

संचालन बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री को करनी चाहिए और इसके लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाने चाहिए:

- उच्च स्तर की पेशेवर दक्षता,
- देश और विदेश में ऊँची प्रतिष्ठा,
- पेशेवर और व्यक्तिगत निष्ठा तथा अडिग ईमानदारी,
- हर तरह के पूर्वाग्रह या पूर्व धारणओं से मुक्त होने का प्रमाण,
- अटूट सामाजिक प्रतिबद्धता, देश के प्रति वफादारी और अन्य की चिंता का भाव,
- सामाजिक, पेशेवर और वित्तीय जवाबदेही के प्रति जवाबदेही,
- विद्ववता और सहजता का संगम करने वाला व्यक्ति,
- अपने विश्वासों पर अडिग रहने का साहस,
- दूसरों के विचारों को सुनने और तर्कसंगत होने पर अपने विचारों में संशोधन करने की क्षमता।

राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन का वार्षिक बजट 1250 करोड़ रुपए का होना चाहिए, जिससे भारत को विश्व गुरू बनाने की सँभावना वाले बेहद सावधानी से चुने गए पाँच से दस वर्ष की लंबी अवधि के 200 से 400 के बीच विशिष्ट अनुसंधान प्रोजेक्ट्स के लिए धन दिया जा सके। हमें कम–से–कम 20 प्रतिशत सफलता दर की अपेक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन को यह प्रयास करना चाहिए कि कम–से–कम तीन या चार भारतीय वैज्ञानिक और/या समाज वैज्ञानिक छह वर्ष में कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य करें, जो नोबल पुरस्कार पाने के लायक हो। राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान फाउंडेशन एक विश्वव्यापी समीक्षा तंत्र भी स्थापित करेगा, जिसमें दुनिया भर के जाने–माने वैज्ञानिक उन प्रोजेक्ट्स का अनुमोदन करेंगे, जिन्हें फाउंडेशन वित्तीय सहायता देगा। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए धन देना फाउंडेशन की सिर्फ एक (यद्यपि एक प्रमुख) गतिविधि माना जाएगा।

राष्ट्रीय विज्ञान और समाज विज्ञान फाउंडेशन की कुछ प्रमुख गतिविधियाँ और दायित्व इस प्रकार होंगे:

- विज्ञान और समाज विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख अनसुलझी समस्याओं और उनपर काम करने में सक्षम व्यक्तियों, समूहों और/या संस्थानों की पहचान करना।
- विज्ञान और मानवीय सरोकारों से संबद्ध अन्य क्षेत्रों, जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, कला और साहित्य के बीच पारस्परिक संबंधों और विज्ञान तथा टैक्नॉलॉजी के क्षेत्र में उन्नतियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, नैतिक और मूल्य आधारित प्रभावों की पहचान करना और उनके बारे में अध्ययन कराना।
- निश्चित समय सीमा के भीतर परस्पर जुड़े हुए विभिन्न विषयों के भविष्य में उभरने वाले क्षेत्रों की पहचान करना और उनके बारे में अध्ययन कराना।
- ऐसे सुझावों की सिफारिश करना जो संविधान की भावना के अनुरूप देश के लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने में मददगार हों।
- सरकार को ऐसी व्यवस्थाएँ करने में मदद देना, जो लाल फीताशाही की बाधाएँ दूर करें, पेशेवर, सामाजिक और वित्तीय जवाबदेही बढ़ाएँ; और यह स्वीकार करें कि सभी रचनात्मक प्रयासों की तरह विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में रचनात्मक प्रयासों को किसी भी तरह की पद और क्रम व्यवस्था से मुक्त होना चाहिए।
- विज्ञान और टैक्नॉलॉजी के क्षेत्र में हुई प्रगति को अपनाकर गरीबों और वंचित लोगों की समस्याओं का पता लगाकर उनके समाधान ढूँढने के लिए अध्ययन कराना।
- ऐसे वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक उपायों के बारे में सिफारिश करना जिनसे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ सकें और सरकार, उद्योग तथा गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से उन्हें अपनाने के लिए तंत्र की स्थापना में मदद मिले।
- प्राकृतिक संसाधनों के समुद्री संसाधनों सहित अधिकतम उपयोग के लिए उपायों का सुझाव देना।
- देश के पारंपरिक ज्ञान के प्रमाणिकरण और उपयोग के लिए आवश्यकता पड़ने पर प्रलेखन और मानक तैयार करने की व्यवस्था स्थापित करने में मदद करना। यह सुनिश्चित करना कि ऐसे ज्ञान और मेधा के संरक्षकों और उन्हें प्रदान करने वालों को पहचानकर इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए और ऐसे ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभ सभी तक पहुँचाए जाएँ।
- विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नीतियाँ बनाना।
- वैज्ञानिक और समाज विज्ञान अनुसंधान से संबद्ध और विकास कार्यों से जुड़े सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों और एजेंसियों को एकजुट करने का मंच प्रदान करना ताकि वे अपने सामूहिक ज्ञान और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकें।
- सरकारी धन से संचालित वैज्ञानिक और समाज विज्ञान संगठनों, निजी क्षेत्र तथा ज़िम्मेदार और प्रभावकारी गैर–सरकारी संगठनों के बीच निकट संपर्क के लिए तंत्र स्थापित करना।
- एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जो यह सुनिश्चित कर सके कि भारतीय वैज्ञानिकों और समाज वैज्ञानिकों तथा भारतीय संस्थानों को अपने कार्य का उचित श्रेय मिले और भारत के अन्दर व उससे बाहर उनके कार्य का पूरा प्रचार हो (भारत के दूतावासों और मिशनों के माध्यम से)।

- विज्ञान के प्रशासन, विज्ञान के व्यवहार, विज्ञान के संचार और विज्ञान के उपयोग के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना और इन दिशा–निर्देशों का पालन न होने पर दंड की व्यवस्था करना। समाज विज्ञानों के लिए भी इसी तरह के दिशा–निर्देश तय करना।
- ऐसे नए संगठनों और संस्थानों की स्थापना के लिए सिफारिश करना, जो इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और ऐसे मौजूदा संस्थानों को बंद करने की सिफारिश करना, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है या जो अब संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भारत में विज्ञान और समाज विज्ञानों की स्थिति के बारे में समय–समय पर रिपोर्ट तैयार करना और उसे भारत सरकार के सामने रखना तथा इस स्थिति को सुधारने के उपायों का सुझाव देना।